न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 127/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

अख्तर अंसारी ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

मंजुर मियाँ वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

28-9-24

थाना प्रभारी बगोदर के प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर लोक परिशांति भंग होने की संभावना के मद्देनजर निम्नलिखित विवादग्रस्त भूमि पर दिनांक 27.08.2024 की प्रभावी तिथि से भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त विवादित जमीन पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- औरा, थाना नं0- 252, खाता नं0- 155, प्लॉट नं0- 625, रकबा- 30 डी0 चौहद्दी : उ0- उदय कुमार, द0- रास्ता जी0टी0 रोड़, पू0- किशोर महतो वगैरह, प0- अजीज जी0टी0रोड़

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना - अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष अपने आवेदन में उल्लेख करते हैं कि विवादग्रस्त भूमि खतियानी रैयती भूमि है तथा खतियान पूना मियाँ वल्द लेदी मियाँ के नाम से है। वादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष का कब्जा उनके पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है तथा उक्त भूमि की जमाबंदी अंचल कार्यालय बगोदर के पंजी-II भाग संख्या- 01, पृष्ठ संख्या- 158 पर कायम है। प्रथम पक्ष आगे बताते है कि उक्त भूमि को लेकर सिविल न्यायालय में P.S. Case No. 66/2017 इन्ही दोनों पक्षकार के मध्य लंबित है। मुकदमा लंबित रहने के उपरान्त भी विपक्षीगण बलपूर्वक उक्त भूमि पर नींव खोदकर मकान बनाना चाह रहे है तथा प्रथम पक्ष के विरोध करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। अपने दावे के समर्थन में प्रथम पक्ष एक ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति, खतियान के संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति, P.S. Case No. 66/2017 में आवेदन की छायाप्रति, एक नक्शा की छायाप्रति प्रस्तुत करते है।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त वादग्रस्त भूमि उनकी खतियानी भूमि है तथा खतियान पूना मियाँ वल्द लेदी मियाँ के नाम से है। खतियानी रैयत पुना मियाँ के मृत्यु के उपरान्त उनके चार पुत्र दखलकार हुए जिसमें एक पुत्र होरिल मियाँ की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र मंजुर मियाँ (द्वितीय पक्ष सं0- 01) उक्त भूमि पर दखलकार हुए। द्वितीय पक्ष आगे कहते है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के सदस्यों का घर-मकान, दुकान इत्यादि बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के क्रम में द्वितीय पक्ष के सदस्यों को मुआवजा भी प्राप्त हुआ है। आगे द्वितीय पक्ष का कहना है कि वादग्रस्त भूमि के खतियानी रैयत पूना मियाँ से प्रथम पक्ष का कोई संबंध नहीं है तथा वे अलग वंश से संबंध रखते है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में खतियान के संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति, एक ऑनलाइन रसीद की छायाप्रति, एक वंशावली की छायाप्रति, भू-अर्जन कार्यालय द्वारा निर्गत अवार्ड की एक छायाप्रति, ऑनलाइन पंजी-2 की छायाप्रति, कुछ फोटोग्राफ दाखिल करते है।

थाना प्रभारी बगोदर का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। थाना प्रभारी के द्वारा विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा होने की बात कही गई है।

प्रस्तुत कागजातों के अध्ययन, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की दलील, थाना प्रभारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय पक्ष एक ही खतियानी रैयत पूना मियाँ की जमीन पर अपना दावा करते है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत से अपना संबंध स्पष्ट नहीं करते है। द्वितीय पक्ष वंशावली प्रस्तुत कर स्वयं को पूना मियाँ का वंशज बतलाते है।

चुँकि प्रस्तुत वाद स्वत्व तथा बंटवारे से संबंधित प्रतीत होता है जिसका विचारण अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है साथ ही प्रथम पक्ष के द्वारा सक्षम न्यायालय में Partition Suit भी दायर किया गया है अत: भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत कोई अंतिम आदेश पारित करना औचित्यपूर्ण नहीं है अत: भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

28-9-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

28-9-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.29 14:14:01 +05:30
Location: 192.168.137.1